

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(आर.ई.सर्किल)

क्र.जे.पी.डी. मु.अ.(प्रोजेक्ट्स)/अ.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(II)/सहा. अभि(II)/प: 146/प्रे. 350 दि 28(3)/17

आदेश

विषय :-दिनांक 01.01.2010 एवं इसके बाद कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र की राशि जमा न कराने के कारण निरस्त होने पर एक और अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ-259 दिनांक 20.02.2017 में आशिक संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2010 एवं इसके बाद जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र जमा नहीं करवाने के कारण निरस्त हो गई है। उन निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :

- i. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गई है उन्हें निगम द्वारा पुनर्जीवित करने के लिए रु. 500/- जमा कराने हेतु दिनांक 01.03.2017 से 30.04.2017 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा।
- ii मांग पत्र की राशि 01.05.2017 से 30.06.2017 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना किसी सूचना के रद्द मानी जावेगी।
- iii इन पुनर्जीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जावेगी।

जिन प्रकरणों में कृषि कनेक्शन आवेदको द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवादी गई थी परन्तु मांग पत्र जमा करवाने के पश्चात कृषि कनेक्शन पत्रावली एल फार्म जमा नहीं करवाने अथवा अन्य किसी कारण से निरस्त कर दी गई तथा जिनकी राशि अभी तक सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमो में जमा है उन आवेदको की कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने का एक अवसर और दिनांक 30.06.2017 तक दिया जाता है।


28/03/2017

(पी.के. जैमिनि)

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट्स)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2-अध्यक्ष डिस्कॉमस जयपुर ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 4-निदेशक(तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(जयपुर/भरतपुर/कोटा)विद्युत वितरण निगम लिमिटेडजयपुर/भरतपुर/कोटा ।
- 6-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर ।
- 9.-प्रावेधिकसहायक,प्रबन्ध निदेशक,जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर / अजमेर /जोधपुर
- 10-प्रावेधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 11-प्रावेधिक सहायक सलाहकार (ऊर्जा) मुख्यमंत्री, जयपुर ।
- 12-प्रावेधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर ।
- 13-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर ।
- 14-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 15-सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय,जयपुर ।
- 16-अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 17- विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर ।
- 18-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 19-निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ ।
- 20-निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ ।
- 21-इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ।


मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट्स)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर